म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
रेरा भवन, अरेरा हिल्स ,मेन रोड़ न.1भोपाल

भोपाल, दिनांक 15/09/2021

// आदेश //

क्रमांक 3976/2021 मध्यप्रदेश भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण में पंजीकृत परियोजनाओं में बैंक खाता परिवर्तन के आवेदन प्राप्त होते है। इसके शीघ्र निराकरण की दृष्टि से ऐसे प्रकरण जिनमें बैंक खाता भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार के दिशा–निर्देशों अथवा बैंको के मर्जर के कारण परिवर्तित हुआ है, बैंक का प्रमाणीकरण प्राप्त किया जावे। प्रमाणीकरण में में यह उल्लेख हो की खाते में परिवर्तन किस कारण से हुआ है। परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्व के खातें की समस्त राशि नवीन खातें में अंतरित हो गई है।

सम्प्रवर्तक ऐसे प्रमाण पत्र को प्राधिकरण के पोर्टल पर अपलोड करेंगे तद्परांत उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर बैंक खाता परिवर्तित किया जावें। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से बैंक खाता परिवर्तन की अपेक्षा है, तो उस पर गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जाये।

(प्राधिकरण द्वारा आदेशित)

(नीरज दुबे)
सचिव
म.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण